षष्ठम् माला, खंड 18, अंक 21, शनिवार, 12 अगस्त, 1978/21 श्रावण, 1900 (शक)
Sixth Series, Vol. XVIII, No. 21, Saturday, August 12, 1978/Sravana 21, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

[खंड 18 में अंक 21 से 32 तक हैं / Vol. XVIII contains Nos. 21 to 32]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21, शनिवार, 12 अगस्त, 1978/21 श्रावण, 1900(शक)
No. 21, Saturday August 12, 1978S/Sravana 21, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र विधेयकों	Papers laid on the Table	1
पर अनुमति	Assent to Bills .	1
सभा का कार्य	Business of the House .	2
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	3
22वां प्रतिवेदन	Twenty-second Report . . .	3
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से प्रतिवर्ष होने वाली क्षति के बारे चर्चा	Discussion re. Annual Ravages of floods in various parts of the country .	4-11
श्री पूर्ण नारायण सिन्हा	Shri Purnanarayan Sinha	4
श्रीमती मोहसिना किदवई	Shrimati Mohsina Kidwai	5
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh .	5
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	6
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen .	6
श्री भगत राम	Shri Bhagat Ram .	6
श्री सुरत बहादुर शाह	Shri Surath Bahadur Shah	7
डा० पी० वी० पेरिया सामी	Dr. P.V. Periasamy .	7
चौधरी हरी राम मक्कासन गोदारा	Ch. Hari Ram Mukkasar Godara .	8
श्री के० ए० राजन	Shri K.A. Rajan .	8
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi	9
श्री तरुण गोगोई	Shri Tarun Gogoi . . .	9
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	Shri Balwant Singh Ramoowalia	10
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur .	10
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	10
श्री चरण सिंह द्वारा लगाये गये कथित आरोपों के बारे में जांच आयोग की नियुक्ति करने के बारे में सांविधिक संकल्प	Re. Statutory Resolution for appointment of Commission of Inquiry to go into charges reported to have been made by Shri Charan Singh	11-18
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai .	11

विषय SUBJECT		पृष्ठ/Pages
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	11
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	11
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	11
श्री कृष्ण कान्त	Shri Krishan Kant	12
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	12
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukmdeo Narain Yadav	12
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri A. Bala Pajanor	12
श्री मोरार जी देसाई	Shri Morarji Desai.	13
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . .	13
श्री चन्द्र शेखर	Shri Chandra Shekhar .	13
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	13
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K.P. Unnikrishnan .	15
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary .	15
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata.	16
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	18
एडुआर्डो फैलीरो	Shri Eduardo Faleiro .	18

लोक सभा
LOK SABHA

शनिवार, 12 अगस्त 1978/21 श्रावण, 1900 (शक)

Saturday, August 12, 1978/Sravana 21, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा कोल तार उत्पादों को शुल्क से छूट देने सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकाररुल्ला): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखा हूं:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 987 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कोल तार उत्पादों को शुल्क से छूट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखा गया ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल०टी० 2623/78]

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर): मुझे इस पर आपत्ति है (**व्यवधान**) कनिष्ठ मंत्री कभी-कभी ही सदन में आते हैं वह भी सभा पटल पर पत्र रखने के लिये । उन्होंने अपने कार्य के आवंटन के लिये प्रधान मंत्री को शिकायत की है ।

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें आपको क्या आपत्ति है । यह आपत्ति निराधार है ।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव: चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति को अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सीमा शुल्क टेरिफ (संशोधन) विधेयक 1978

(2) दिवाला विधियां (संशोधन) विधेयक, 1978

(3) कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1978।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सोमवार, 14 अगस्त, 1978 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978 पर आगे विचार तथा उसे संयुक्त समिति को सौंपना ।

(2) वर्ष 1978-79 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(3) तट रक्षक विधेयक, 1978 पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार तथा उसे पास करना ।

(4) दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा तथा दिल्ली पुलिस विधेयक, 1978 पर विचार तथा उसे पास करना ।

(5) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) विधेयक, 1978 पर विचार तथा उसे पास करना ।

2. निम्नलिखित प्रस्तावों पर भी चर्चा किये जाने का प्रस्ताव है :—

(1) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में हाल की घटनाओं के बारे में प्रस्ताव सोमवार, 14 अगस्त, 1978 को अपराह्न 4 बजे ।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करने के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु का प्रस्ताव बुधवार, 16 अगस्त, 1978 को ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : समय कम रह गया है । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है दल-बदल विरोधी तथा औद्योगिक तथा व्यापक औद्योगिक संबन्ध संबंधी विधेयकों को पुरःस्थापित किया जाये ताकि उस पर देश व्यापी रूप से विचार हो सके तथा प्रवर समिति उस पर चर्चा कर सके ।

दूसरे सिद्धान्ततः मैं संसद् सदस्यों को पेंशन दिये जाने के विरुद्ध हूं । मंत्री महोदय इस बारे में विधेयक लायें ।

अन्ततः मैं चाहता हूं कि संचार मंत्री नगरों में टेलीफोनों की विषम परिस्थिति पर एक वक्तव्य दें । अहमदाबाद को दिल्ली तथा फरीदाबाद से सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा जोड़ा जाये । सीधी टेलीफोन सेवा के विस्तार से टेलीफोन सेवा का ह्रास हुआ है । मेरा निवेदन है कि सुविधाएं देने में एकरूपता बरती जाये ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : समाचार पत्रों में छपा था कि सरकार ने ब्रिटेन से जागुर नामक दूर तक मार करने वाले वायु यानों का देश में निर्माण करने के लिये करार किया है । बताया गया है कि इसके लिये भारतीय 5 प्रतिशत राशि कटौती के रूप में देने का प्रस्ताव है । यह गम्भीर

मामला है । खेद की बात है कि डा० सुब्रामाण्यम स्वामी द्वारा किये गये सभी मैत्री प्रयत्नों के बावजूद अमरीका ने यह निर्णय लिया है कि पाकिस्तान को शस्त्र दिये जाएं । यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । इस पर विस्तृत चर्चा की जाये तथा मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें ।

मैंने सरकार से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने को कहा था । इसे जानबूझ कर सभा पटल पर नहीं रखा गया ।

डा० सुब्रामण्यम स्वामी : प्रश्न दक्षिणी कालेजों का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध किये जाने का था ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सरकार को शीघ्र उस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना चाहिए ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्री मावलंकर हर बार हमें याद कराते हैं कि वह सभा के सतर्क सदस्य के रूप में सदा कार्यरत रहते हैं ।

मैं समझता हूं कि दल-बदल तथा औद्योगिक सबन्धों के बारे में विधेयक इसी सत्र में पुनःस्थापित किये जा सकेंगे ।

नगरों में टेलीफोन की सुविधाओं के बारे में माननीय सदस्य ने जो उल्लेख किया है उसे मैं संचार मंत्री के पास भेज दूंगा ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

22वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से, जो 11 अगस्त, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से, जो 11 अगस्त, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 193 के अंतर्गत चर्चा ली जयेगी ।

Shri Ugrasen (Deoria) : As there are number of speakers and the time allowed is 2 hours, each speaker may be allowed 10 minutes time.

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से प्रति वर्ष होने वाली क्षति के बारे में चर्चा

DISCUSSION *RE.* ANNUAL RAVAGES OF FLOODS IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : बड़े खेद के साथ सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष कहना पड़ता है कि पिछले 50 वर्षों से प्रतिवर्ष भारत की दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र घोर विपदा लाती रही हैं ।

इस वर्ष असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में 19 स्थानों पर दरार पड़ने से 2,29 लाख भूमि में बाढ़ आ गई और 440 गांवों के 2 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं । बाढ़ से 0.19 हेक्टेयर भूमि में पटसन और धान की फसल नष्ट हो गई । पशुओं के अलावा दो व्यक्ति भी मारे गये ।

बिहार में अड़वारा नदियों के समूह में से बागमती, पुनपुन और कोसी नदियों में बाढ़ से चम्पारन, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, सहरसा, दरभंगा और बेतिया के 5.17 हेक्टेयर भूमि में बाढ़ से 30 लाख लोग प्रभावित हुए जिनसे 1.70 हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हो गई जिसका मूल्य 12.58 लाख रुपये है ।

राजस्थान में झुनझुनु, सीकर, चुरू, भरतपुर, अलवर, जयपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में 2.81 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हो गई और 75000 लोग तथा 91000 घर प्रभावित हो गये और 61 व्यक्तियों की जानें गईं । कुल मिला कर 5 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

उत्तर प्रदेश में घाघरा और राप्ती नदियों में बाढ़ से गोंडा, बस्ती, बहराइच और गोरखपुर क्षेत्र के 8100 गांव और 37 लाख लोग प्रभावित हुए हैं तथा 12.55 हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हो गई, 116 व्यक्तियों की जाने गयीं और 284 पशु मारे गये । कुल हानि 10 करोड़ रुपये की हुई ।

यह कहा गया है कि असम और बिहार ने राहत कार्यों हेतु धन की मांग नहीं की लेकिन उ०प्र० ने 50 करोड रुपयों के लिए कहा है । यह गलत बात है । जून में ही असम के मुख्य मंत्री की सहमति से मैंने प्रधान मंत्री को एक तार भेज कर असम के लिए 60 लाख रुपयों की मांग की थी । जिससे राहत कार्य और दरारों को भरा जा सके ।

राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह ने दूसरे सदन में कहा है कि 30 वर्षों में बाढ़ राहत कार्यों पर 623 करोड़ रु० खर्च किया गया था जबकि हम अगले 5 वर्षों में 680 करोड़ रु० खर्च करेंगे । भारत में प्रतिवर्ष 250 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है । केवल 17.5 प्रतिशत क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण उपाय हुए हैं और सरकार अगले 5 वर्षों में 50% भूमि में बाढ़ नियंत्रण उपाय करेगी ।

ब्रह्मपुत्र नदी का जल 1950 में आये भूचाल के कारण, जिससे सारा पूर्वी असम हिल गया था, उथला हो गया । अतः प्रति वर्ष नदी का जल किनारे तोड़ कर बह जाता है । अतः हानि अधिक होती है । अतः देश के उत्तरी भागों में इसकी रोक-थाम के लिए उपाय किये जायें ।

श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा लोक सभा को दी गई जानकारी के अनुसार हमारी सरकार नेपाल सरकार के सहयोग से इस समस्या को सुलझायेगी । दोनों देशों के विशेषज्ञ एक योजना को अन्तिम रूप दे रहे हैं । मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सर्वेक्षण कार्य के बाद शीघ्र ही कार्य शुरू होगा ।

किसी ने सुझाव दिया है कि हिमालय की निचली पहाड़ियों के चारों ओर एक नहर बनायी जाये जिससे पानी राजस्थान के मार्ग से कावेरी में चला जाये और फिर दक्षिण से होकर वापस बंगाल की खाड़ी में चला जाये । यह तो दिवा स्वप्न है और ऐसा करने में अनेकों वर्ष लग जायेंगे और करोड़ों रुपया खर्च होगा ।

मेरा आग्रह है कि सरकार कुछ ठोस उपाय करे । यदि आवश्यक हो तो विश्व बैंक से मदद ली जा सकती है । बाढ़ नियंत्रण की समस्या को हल करने हेतु, सरकार सभी उपलब्ध संसाधन जुटाये ताकि जन धन की हानि रुक सके ।

Shrimati Mohsina Kidwai (Azamgarh) : Sir, I want to bring some points to the notice of the House in regard to floods. Floods are a annual phenomenon in our country. They cause great damage to life and property. I want to mention U.P.—No doubt floods are a natural calamity but it also shows the inefficiency of the state administration. In 1969 there were serious floods in U.P. They caused large scale loss to life and property in the states. Lakhs of acres of agricultural land suffered in those floods. A large number of cattle heads were perished. The eastern parts of U.P. had to face still more grave situation. Previously there used to be a flood warning system. That should be revived in consultation with Government of Nepal. This system will help in forecasting floods and precautions could be taken to some life and property. All party meetings should be convened to mobilize help from all sections of the society.

The eastern districts of Uttar Pradesh have suffered very much during the recent floods. The people of these areas could not get essentials items for days. I have toured these areas during the last five days. The army was called at a very late stage. Had it been called earlier the loss could have been less.

The state Government had in the beginning asked for a help of rupees ten crores but later on it was increased to rupees one hundred and ten crores. I want adequate amount to be given by the Central Government to the state Government for flood relief works. What amount the State Government is spending on this. There are many flood protection schemes which are lying incomplete. The centre should take initiative in this and get these completed so that people could be saved from the fury of the floods. It should provide help to U.P. and Bihar states.

This is not a political issue. It is a human problem. I want that help should be rendered to the sufferers without any discrimination. There are many projects which have not been completed by the states. These State Governments should be taken to task for not completing the work.

Government should give concessions to the flood affected people. Some central department should coordinate this work for different states.

The members of Parliament and Members of State Legislatures should give one months salary for flood relief funds. Our party is doing like that.

Dr. Ramji Singh (Bahagalpur) : Floods and drought are our two problems. Our country suffers a loss of Rs. 1452 crores every year due to floods. On the other side our country has to face the problem of drought also. A solution was suggested that Ganga should be linked with Cauvery. It will help in solving the twin problem of floods and drought.

The states of U.P. and Bihar are in the grip of floods these days. This problem cannot be solved in a piecemeal manner. We should prepare a comprehensive plan in this regard.

The main causes are faulty drainage system, erosion, and silting of river beds. Another cause of floods is landslides. We have got the necessary engineering capacity and man power to tackle this problem. We need an integrated comprehensive plan on flood control. We can turn these rivers into rivers of comfort if we implement the above plan in right earnest.

We should set up a National Flood Control Fund. The river bank stabilisation should be paid necessary attention. Flood and drought are national problems. They should be solved with cooperation of states. It should not be treated as responsibility of states only.

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : आजकल समूचे उत्तर भारत में बाढ़ का प्रकोप है। परन्तु मैं अपने राज्य तक ही अपनी बात सीमित रखूंगा।

आसाम के जोरहाट क्षेत्र में अनेक देहातों में पानी भर गया है। साधारणतः वहां पर हर साल बाढ़ आती है परन्तु उससे विशेष हानि नहीं होती, परन्तु इस वर्ष वहां बहुत भीषण बाढ़ आयी है और मकानों के गिरने और मवेशियों के मरने से बहुत हानि हुई है। ब्रह्मपुत्र में अनेक दिशाओं से पानी आता है। वहां नदी के पाट में गाद भर जाती है और इस कारण बाढ़ आ जाती है। वहां पर खुदायी करने की आवश्यकता है। इस समस्या के समाधान की ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पिछली सरकार ने कम से कम एक आयोग की नियुक्ति का वायदा तो किया था।

आसाम राज्य की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। धन उपलब्ध नहीं किया जाता। सरकार को धन देकर बाढ़ समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना चाहिये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड नियुक्त करे। आसाम में कागज का कारखाना लगाने के प्रश्न को लेकर झगड़ा खड़ा कर दिया गया है। राज्य सरकार की वित्तीय क्षमता सीमित है। वह सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकती। केन्द्र को इसमें राज्य सरकार का हाथ बटाना चाहिये।

ब्रह्मपुत्र नदी से गाद निकालकर उसे गहरा किया जाना चाहिये। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर वन को काटने से बचाया जाये ताकि बाढ़ों से छुटकारा मिल सके।

Shri Ugra Sen (Deoria) : I have the experience of working in flood prone areas of North Bihar and the areas near the Nepal border. My area is in floods even today. I think that there is need for preparing a flood policy for the country. A flood Control Department should be set up to look into all aspects of floods. Our engineers should be trained in flood control work.

During the last 30 years 6 thousand crore rupees were spent on flood control measures. I want to know whether this spending has resulted in controlling floods in different rivers of the country. You cannot stop floods by taking steps in the plains.

First a study will have to be made of different rivers. A scheme should be prepared to contain these floods in the Himalayas itself.

The Central Government should give adequate amount for relief measures in U.P. and Bihar. In the past a large number of committees were set up for rendering help to flood affected people. These committees did precious little. This problem should be seriously looked into and steps should be taken to solve this problem on permanent basis.

Shri Bhagat Ram (Phillaur) : Sir, the floods are an annual occurrence. Every year our Government renders help to the flood victims. During the rule of Congress party many promises were made but they were never fulfilled. The schemes were prepared but they were never implemented. The result is that floods are causing havoc every year.

It is estimated that every year about 7.4 million hectares of land is affected by floods, out of which about 3 million is very productive and damage to the extent of 2104 million Rupees was caused. Even then no scheme has so far been drawn up by Government to bring relief to people from the ravages of flood.

One of the main reasons for failures of schemes prepared at the top is that at the stage of preparation thereof, the opinion of people of flood-prone areas is not solicited and the suggestions made by them are ignored.

In Punjab more than 50 thousand people have been affected by floods this year. Rs. 5 lakhs were sanctioned for repairs of Ghusi dam in 1975, but it has not been repaired far. There has been a constant demand for providing a flood gate near Philor at a dam, but Government have failed to do it so far.

I appeal to the Government to formulate a flood control scheme at the Central level so that it could be well-coordinated with all the States and be implemented in a well-planned manner.

I also feel that there should be a separate Ministry for flood control so that the work could be controlled in a well-organised manner.

I would also request the Government to ensure that the amount of compensation or relief actually reached in the hands of flood-affected people. Also, timely warning should be given to the people likely to be affected by floods. Dams and bridges should be strengthened. Maximum possible assistance should be provided by the Centre to the flood-affected States.

श्री सूरत बहादुर शाह (खेरी) : बाढ़ हमारे देश की स्थाई समस्या है । भारत की यह दुखद समस्या, कांग्रेस सरकार के 30 वर्ष के शासन की देन है । स्थिति आज भी वही है, जो आज से 30 वर्ष पहले थी । हमें इस समस्या के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा ।

प्रश्न केवल राहत देने का ही नहीं है, प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न होने दी जाये कि प्रत्येक वर्ष हमारा देश बाढ़ की लपेट में आता रहे । इसके लिए हमें दीर्घावधि योजना आरम्भ करनी होगी ।

श्री जगजीवनलाल हाथी की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया गया था । परन्तु उसके कोई परिणाम हमारे समक्ष नहीं आये हैं ।

बाढ़ नदियों में रेत आदि जमा होने और बड़े पैमाने पर पेड़ काटने के कारण आती है । बांधों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं परन्तु उनके निर्माण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता और नहरें निकालने में उत्तर भारतीय नहर निकासी अधिनियम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । नदियों आदि की सफाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता यद्यपि इसके दो लाभ हैं—एक नदी गहरी हो जाती है और दूसरे वही मिट्टी आदि तटबंध ऊंचा और सुदृढ़ करने के काम आती है ।

***डा० पी० वी० पेरियासामी (कृष्णगिरि)**: हमारे देश में बाढ़ आना एक निरन्तर प्रक्रिया बन गई है । देश के उत्तरी भाग में 40 प्रतिशत खेती योग्य भूमि बाढ़ के पानी से जलमग्न पड़ी है और दक्षिणी राज्यों में 60 प्रतिशत खेती योग्य भूमि सूखा से प्रभावित है । सम्भवतः हमारे देश में ही इस दोहरी समस्या का प्रकोप है ।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

अनुमान लगाया गया है कि किसानों की सम्पत्ति और उनके जानवरों की हानि के अतिरिक्त बाढ़ से 1800 करोड़ रुपये की वार्षिक क्षति होती है । बाढ़ के बाद का प्रभाव भी बहुत अधिक होता है । पेय जल दूषित हो जाता है जिससे पीलिया, मोती झारा, मलेरिया आदि संक्रामक रोगों का प्रकोप फैल जाता है ।

जिन किसानों की फसल को बाढ़ से हानि हुई है उनकी क्षतिपूर्ति करने या फसल बीमा की कोई व्यवस्था नहीं है । यदि बाढ़ में कोई किसान डूब जाता है तो उसके आश्रितों को किसी भी स्त्रोत से आर्थिक सहायता नहीं मिलती है । देश में विशेषतया कृषि सहायता के लिए एक भी उच्चस्तरीय वित्तीय संस्थान नहीं है । यदि सरकार उद्योगों पर लगाये गए धन का केवल 50 प्रतिशत कृषि और बाढ़ नियंत्रण योजना पर लगाती तो हमारा देश अब तक विश्वभर में सबसे अधिक अनाज पैदा करने वाला राष्ट्र बन जाता ।

भारत सरकार को कोई ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें हमारे किसानों के लिए फसल बीमा की सुविधा हो और वे बाढ़ के प्रकोप से अपनी फसल को बचा सकें । सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । अन्तरराज्यीय नदी जल विवाद जो अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं उनका शीघ्र ही निपटारा किया जाना चाहिए । गंगा नदी को कावेरी से मिलाना चाहिए । यदि इस योजना पर कार्य आरम्भ हो जाये तो इससे न केवल भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांति आयेगी बल्कि देश में लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा । आवश्यकता पड़े तो सरकार को इस योजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता के लिए भी अनुरोध करना चाहिए । इस योजना के द्वारा उत्तरी भारत बाढ़ के प्रकोप से दक्षिणी भारत सूखा के प्रकोप से छुटकारा पा जायेगा ।

Ch. Hari Ram Makkasar Godara (Bikaner): Floods in river Ghagghar have caused great damage in Rajasthan by totally destroying crops in a vast area and eroding many villages. Government is requested to take up desilting of the river Ghaggar by digging a canal in the bed of the river so that spreading of its flood water over a vast area is prevented.

श्री के० ए० राजन (त्रिचुर) : उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में बाढ़ से प्रति वर्ष लाखों परिवार बेघर हो जाते हैं । मेरा अनुरोध है कि बाढ़ को नियंत्रण में करने के लिए एक समेकित राष्ट्रीय प्रयास किया जाना चाहिए ।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुई]

[Smt. Parvati Krishnan in the Chair]

यदि सरकार बांध निर्माण और अन्य सुरक्षात्मक उपायों के लिए समेकित राष्ट्रीय परियोजना बनाकर उस पर सारा धन व्यय करती तो हमारे देश की जनता इन सभी कठिनाइयों से बच जाती ।

ऐसी अनेक शिकायतें आई हैं कि नौकरशाही के कारण राहत कार्यों के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग किया गया है । राहत कार्यों में जनता का सहयोग नहीं लिया गया है । जिस कारण भी इस निधि का दुरूपयोग हुआ है । राहत कार्य के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी । बांधों की स्थिति बहुत खराब है वैसे भी जर्जर हालत में हैं । ये सुनियोजित नहीं हैं और निर्माण काल के दौरान इन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है । ठेकेदारों तथा अन्य बिचौलियों ने उन्हें विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं बनाया है । इसीलिए बाँधों में दरारें पड़ गईं और उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ है । इसकी जाँच की जानी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए ।

जब बाढ़ एक राज्य में अपनी विनाश लीला फैलाती है तभी राष्ट्रीय आ ोग योजनाएं तैयार करता है । 1977 में प्रैस समाचार प्रकाशित हुए थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ नहीं आयेगी क्योंकि राष्ट्रीय आयोग बाढ़ नियंत्रण के लिए अत्यधिक और कारगर सुरक्षात्मक योजना बनाने जा रहा है । लेकिन 1977 आया और चला गया और अब 1978 आ गया है । हम फिर भी बाढ़ों का सामना कर रहे हैं । अतः बाढ़ों का मुकाबला करने के लिए तदर्थ उपायों के बजाय सरकार को बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी एक समेकित राष्ट्रीय परियोजना बनानी चाहिए । तभी हम उत्तर प्रदेश, बिहार, और आसाम की जनता को बाढ़ के प्रकोप से बचा पायेंगे ।

Dr. Murli Manohar Joshi (Almora) : Madam Chairman, I feel that floods in northern India particularly are caused by those rivers which have their origin in Himalayas. I, therefore, feel that these floods could not be controlled unless a fully effective engineering effort keeping in veiw the entire Himalayan region is taken up. I suggest that steps should be taken for formulating and implementing an effecitve flood control programme in collaboration with the neighbouring countries bordering the Himalayas, wherever necessay.

I would also suggest that steps might be taken in a scientific manner to prevent silting in rivers. On the other hand de-silting programme should also be taken up on a vast scale. The silt so taken out from the river beds could be utilised for making the agricultural land more fertile and also for preparing compressed bricks which could be utilised for building cheap houses in the river areas. It would also provide employment opportunities to lakhs of people. Engineering institutes might be asked to conduct research in this regard.

Proper attention should be paid to Himalayan engineering also. It should also be ensured that blasting work done for construction of roads did not become a casue of floods. Himalayan engineering should be developed therefor and should be linked to flood-control engineering. Flood Control is not merely an administrative problem. Flood engineering need be developed to make floods a blessing rather than a curse by linking flood forecasting, flood control and flood relief etc. The total money need for long term flood control should not be spread over to 20-25 years but should be utilised in a shorter period to get rid of this menace and resultant devastation. It is, therefore, necessary to draw up a scheme at an international level embracing flood engineering de-siltification and rural employment.

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : इस वर्ष उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में अभूतपूर्व बाढ़ आई है । इससे करोड़ों रुपये की हानि हुई है और सैकड़ों लोगों की जाने गई हैं । इस समस्या को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसे राष्ट्रीय समस्या मानना चाहिए ।

सबसे चिन्ता की बात तो यह है कि इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया है ।

आसाम एक निर्धन गरीब राज्य है । इस पर प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रभाव पड़ता है । लाखों व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं और समूचे राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो जाती है । इस वर्ष तो शिवसागर सब डिविजन सहित अनेक भू-भागों में बाढ़ का प्रकोप फैला है । बाढ़ की यह समस्या 1950 से ही चली आ रही है । लेकिन अभी तक बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई विस्तृत योजना नहीं बनाई गई है । 1970 में ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने 100 करोड़ रुपये की अल्पकालिक योजना और 400 करोड़ रुपये की दीर्घकालिक परियोजनाएं तैयार कीं । लेकिन सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस परियोजना के अनुसार कार्य नहीं किया ।

राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधन बहुत सीमित होते हैं और राज्य सरकार इस समस्या से नहीं निपट सकती । अतः इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानकर इसे सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नियंत्रण बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिए ।

इसके अलावा विश्व बैंक से भी इस सम्बन्ध में सहायता माँगी जा सकती है । केन्द्रीय सरकार को यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना चाहिए, पिछली बार जब अमरीकी राष्ट्रपति श्री कार्टर और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री केलाघन यहां आये थे तो उन्होंने पूर्वी अचंल में हमारी सहायता करने का आश्वासन दिया था । मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस मामले को उनकी सरकारों के साथ उठाया है ।

श्री बलवंत सिह रामवालिया (फरीदकोट) : बाढ़ के कारण पंजाब की स्थिति बहुत संकटमय है। बाढ़ से फसल नष्ट हो गई है, मकान गिर गये हैं और मवेशी मर गए हैं । यह विनाश लीला फिरोजपुर, जीरा, मोगा, लुधियाना, होशियारपुर, अजनाला, फिल्लौर, तिलवंडी, अमृतसर और पटियाला में हुई है। कुछ क्षेत्रों में, तो 6 से 8 फुट पानी भरा हुआ है । पंजाब का दूसी बन्ध को खतरा पैदा हो गया है । पंजाब सरकार ने एक करोड़ रुपये की अन्तरिम राहत सहायता की घोषणा की है ।

पड़ौसी राज्यों को, जो नदी के जल का लाभ उठाते हैं भी बाढ़ ग्रस्त राज्यों की सहायता करनी चाहिए । पंजाब एक सीमाँत राज्य है । रक्षा विभाग ने कुछ नालियाँ रक्षा कार्यों के लिए बनायी हैं । ज्यादा वर्षा के समय इन नालियों से एक समस्या पैदा हो जाती है । इनसे अन्य क्षेत्रों में बाढ़ चली जाती है । अतः केन्द्रीय सरकार को पंजाब के लिये बाढ़ राहत देने पर विशेष विचार करना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये योजनायें माँगनी चाहियें । राज्यों को इस समस्या के स्थायी हल के लिये भी कोई सहायता देनी चाहिये ।

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur) : It is unfortunate that the attention to the problem of floods is given only druring these two-three months when vast areas in our country are actually affected by floods. Government should take up this problem very seriously. Immediate attention should be paid to the schemes which are requuired to be completed for flood control measures, so that their may not be furhter possibilities of huge damages by floods. The period prescribed for implementation of these schemes should be reduced from 25 years to 5 or 10 years. A national scheme should also be formulated to tackle this problem.

In eastern U.P. vast areas are affected by floods in Rapti, Robin, Ghaghara and Badi Gandak or Narayani rivers every year. Certain suggestions to control the floods in these areas were made by Patel Commission and Ashok Mehta Foodgrain Enquiry Committee but no action has been taken thereon even after a lapse of 15-20 years.

Speedy steps should be taken to raise the level of villages so that they can be protected from floods. Dams or barrages should also be constructed to save the villages. These schemes can be utilised for irrigation purposes and for generation of hydro-electricity also which can be utilised for the development of small scale industries.

The Ganges and the Caveri needed to be linked early. More relief should be provided to the flooded areas.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : Rains in the country pur about 400 million hecto-litre water every year. Out of which we are utilising only about 60 million hecto-litre water for irrigation purposes etc. There are many schemes for flood control, supply of drinking water etc. but there are certain lacunae in them which should be removed early. The national Agriculture Commission and Irrigation Commission has thrown enough light on these items. But funds are required for implementing these schemes. More attention, therefore, will have to be given on mobilization of resources for this purpose.

The subject of forests should be retained in the Concurrent List.

More assistance and relief should be provided to the flood affected areas of Eastern and Western Rajasthan.

The problem of flood Control should be dealt with on long term basis.

Shri Surendra Vikram : Sir, the whole Shahjahanpur is submerged under water. **(Interruption)**

श्री चरण सिंह द्वारा लगाये गये कथित आरोपों की जांच करने के लिये जांच आयोग की नियुक्ति करने के सांविधिक संकल्प के बारे मे

Re. STATUTORY RESOLUTION FOR APPOINTMENT OF COMMISSION OF INQUIRY TO GO INTO CHARGES REPORTED TO HAVE BEEN MADE BY SHRI CHARAN SINGH.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Speaker in the Chair]

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : श्री वसंत साठे द्वारा पेश किये गये सांविधिक संकल्प को गृहीत करने सम्बन्धी अध्यक्ष के विनिर्णय के विरुद्ध मैं अपील करना चाहता हूं । जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 में यह निर्धारित किया गया है कि 'लोक महत्व के किसी निश्चित मामले' की जाँच के लिए जाँच आयोग की नियुक्ति दी जा सकती है । श्री साठे के प्रस्ताव में लोक महत्व का कोई विशेष मामला नहीं है । प्रस्ताव सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है ।

जाँच आयोग की नियुक्ति के लिए एक अनिवार्य बात यह है कि मामला आरोप लगाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित होना चाहिये । इस मामले में श्री साठे ने समाचार पत्रों में छपे समाचारों का ही सहारा लिया है । इस लिए मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के विरुद्ध निर्णय लें ।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : श्री गौरी शंकर राय की अपील के बारे में, मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि चूंकि आप ने श्री साठे का प्रस्ताव गृहीत कर लिया है उसे पेश करने दिया जाये, ताकि उस में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया जा सके ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती देने का प्रश्न ही नहीं है । मैं अपने मित्र से अनुरोध करता हूं कि वह अपील वापस ले लें ।

श्री गौरी शंकर राय : मैं अपनी अपील वापस लेता हूं ।

श्री वसन्त साठे : नियम 180 के अधीन मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं (**व्यवधान**) । मैं संकल्प पेश नहीं कर रहा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : These were all mischievous charges. Now they have come to know of their hollowness and they are demoralised. They want to equate the mother of corruption with our Prime Minister. They should be ashamed of it (**Interruption**).

श्री सी०के० जाफर शरीफ : किस नियम के अधीन ? (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : ये कह रहे हैं कि उन्हें वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : ये क्या कह रहे हैं ? * * *

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकालता हूं ।

श्री सी० एस० स्टीफन : श्री साठे ने कहा है कि वे प्रस्ताव को पेश नहीं कर रहे । **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि वे इसे वापस नहीं ले सकते ।

एक माननीय सदस्य : सभा के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवरलाल गुप्त ने आज सुबह एक प्रस्ताव भेजा था । वे उस पर बोल रहे हैं ।

श्री कृष्ण कान्त (चंडीगढ़) : इस संकल्प को वापस लेकर वे न केवल इस सभा का अपमान कर रहे हैं अपितु सदस्यों का भी अपमान कर रहे हैं, वे देश का भी अपमान कर रहे हैं । यह सभा का तथा देश का अपमान है । उन्हें इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गाँधी नगर) : श्री साठे के संकल्प की विषय वस्तु में बहुत से महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में यह सभा तथा देश इस सत्र के शुरु होने से ही बहुत चिन्तित थे । अब वे केवल अपना पर्दाफाश स्वंय कर रहे हैं, यदि प्रस्ताव पेश करने के बाद वे नियम 180 की केवलमात्र तकनीक के अधीन शरण लेते हैं और सभा को यह बताते हैं कि वे इसके प्रति अधिक गम्भीर नहीं थे । यह कैसे हो सकता है ?

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव की अनुमति अध्यक्ष ने दी है यह पता चलता है कि अध्यक्ष ने यह समझा कि सभा और विशेषकर विरोधी पक्ष इस संकल्प की विषयवस्तु के प्रति चिन्तत हैं । क्या कोई सदस्य उस संकल्प को वापस लेकर सभा का इस प्रकार मज़ाक उड़ा सकता है ?

वह नियम 180(1) को निलम्बन करने का प्रस्ताव कर सकता है और सभा को विश्वास में ले सकता है और यदि सभा सहमत होती है, तो वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि, अन्यथा, वे न केवल विरोधी पक्ष, अपितु लोग हमारी निन्दा करेंगे कि हमने इतना समय लिया और जब समय आया तो कुछ भी नहीं हुआ ।

Shri Hukmdeo Narain Yadav (Madhubani) : You have allowed discussion on this motion under rule 190, under which opinion of the Leader of the House is required to be taken. Rule 339 also says that original motion will not be withdrawn without disposing the amendments. No member can withdraw his motion in view of rule 339, 190 and 138. This motion is now property of the house and cannot be withdrawn.

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : नियम 180 के अधीन एक बार प्रस्ताव पेश होने के बाद उसे वापस तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक सभा उसकी अनुमति न दे । यह बोत स्पष्ट है । सभा नियम 388 के अधीन शरण ले सकती है ।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

***Expunged as ordered by the chair.

हमारी पार्टी इसे एक गम्भीर मामला समझती है क्योंकि हमने अपने सदस्यों को यहाँ पर उपस्थित रहने के लिये कहा है । वे दूरस्थानों से आये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री सौगत राय और श्री उन्नी कृष्णन से एक प्रस्ताव की सूचना मिली है, "कि नियम 180 (1) को निलम्बित किया जाये और केवल नियम 180(2) को संविधिक संकल्प पर लागू किया जायेगा ।"

श्री वसन्त साठे (अकोला) : सभा की अनुमती का प्रश्न सदस्य द्वारा संकल्प पेश करने के बाद ही उठा है । इसका कारण यह है कि इस दौरान दूसरे सदन ने एक समिति नियुक्त करने का एक संकल्प पास किया है । मैं उस समिति के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाना चाहता ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं तो केवल यह समझता हूं कि श्री साठे का निर्णय उनका अपना है । मैं यह नहीं जानता कि क्या इससे उन्हें या उनके साथियों को किसी प्रकार का श्रेय मिलेगा। परन्तु मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री साठे ने अध्यक्ष को एक 8 पृष्ठ का पत्र भी लिखा है जिसमें अनेक आरोप लगाये गये हैं । क्या श्री साठे उन्हें भी वापस लेते हैं ? मेरा कहने का अर्थ यही है । मुझे भी उसकी एक प्रति मिली है। या तो हम इसे वापस लिया समझें या हमें इस पर चर्चा करनी चाहिये ।

श्री सौगत राय : हमने इस आशा से अनेक संशोधन दिये हैं कि इस संकल्प पर चर्चा की जायेगी और इन संशोधनों पर भी चर्चा की जायेगी । परन्तु अब कुछ और ही सौदा किया जा रहा है। सभा नेता तथा देश के प्रधान मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोप एक गम्भीर मामला है । हम उन सब पर पूर्ण गम्भीरता से इस सभा में विचार करना चाहते हैं । इस बारे में कोई सौदा नहीं होना चाहिये और संसद सदस्यों की कमर के पीछे कुछ नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : श्री साठे के लिए यह याद रखना उचित होगा कि संसदीय संस्थाओं के इस प्रकार के दुरुपयोग से उन्हें अतीत में भी कोई लाभ नहीं हुआ और न ही इससे भविष्य में उन्हें कोई लाभ पहुंचेगा । वे इस तरह लोकतंत्र को नष्ट नहीं कर सकते । श्री साठे अपने आपे में नहीं हैं । उनका मार्ग दर्शन एक प्रेत आत्मा कर रही है । जो कई वर्षों तक इस देश पर भी मंडराती रही ।

यह राजनीतिक नैतिकता तथा संसदीय लोकतंत्र का मौलिक प्रश्न है । क्या दूसरा सदन निचले सदन के प्राधिकार को अनाधिकार से अपना सकता है और क्या वह जनता द्वारा दिए गए समर्थन का भी पेसा कर सकता है ।

इस सभा की गरिमा तथा विशेषाधिकार के अभिरक्षक के रूप में अध्यक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सदस्य का व्यवहार संसदीय लोक तंत्र के स्तर से नीचे है । ऐसा व्यवहार करने के लिए उन्हें सदस्य की भर्त्सना करनी चाहिए ।

श्री सी० एम० स्टीफन : नियम के निलंबन के बारे में एक प्रश्न उठाया गया है । निलंबन अव्यवहारिक तथा अप्रभावी हो जायगा क्योंकि यह भूतलक्षी नहीं है । निलंबन सभा के समक्ष कार्य के कारण हुआ ।

प्रस्ताव पेश न करने के लिए श्री साठे के आचरण के बारे में कई कुछ कहा गया । यह प्रस्ताव पेश करने में उनके दिमाग में कई बातें थीं । विशेष आरोप कदापि नहीं लगाए गए हैं । यह प्रस्ताव सिफारिश करता है कि यह मामला जाँच आयोग को भेजा जाये । इसी बीच दूसरे सदन ने निर्णय लिया है कि इस बात पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति स्थापित की जाये कि क्या यह प्रथम दृष्टि का मामला है ? जब उन्होंने एक समिति गठित करने का निर्णय ले लिया है तो हम जाँच आयोग के इस मामले को पेश नहीं कर रहे हैं । यदि यह पता लगाने के लिए, कि क्या यह प्रथम दृष्टि में मामला है, तंत्र की व्यवस्था कर ली गई है तो हम अपने प्रस्ताव को रोकने या विलंबित करने के लिए तैयार हैं ।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में संशोधनों का सुझाव दिया गया है कि यह मामला किसी विधिवेत्ता या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अथवा एक संसदीय समिति को सौंपा जाये । अतः कहने का तात्पर्य यह है कि इसे किसी जाँच आयोग को सौंपने से पहले प्रारम्भिक जाँच होनी चाहिये । संशोधन की दी गयी सूचना का यही आशय है ।

श्री मोरारजी देसाई: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रस्ताव वापस लिया गया है अर्थात् इसे प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता । नियम में भी यही व्यवस्था है ।

अध्यक्ष महोदय: श्री साठे ने वापस लेने के कारण बताये हैं (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे: आप उन्हें बोलने दे रहे हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बोलने का अधिकार है । (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन: सभा के एक वर्ग ने अपने संशोधनों के द्वारा यह भावना व्यक्त की है कि यह मामला जाँच आयोग को तत्काल नहीं भेजा जाना चाहिये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: सभा का समय बर्बाद हो रहा है ।

श्री सी० एम० स्टीफन: प्रस्तावक के लिये यह कहना बिल्कुल कानूनी है कि प्रथम दृष्टि में मामला है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिये जब मामले की प्रारंभिक जाँच हो रही है तो प्रस्ताव पेश नहीं किया जाना चाहिये ।

मैंने प्रधान मंत्री को भी सभा पटल पर रखने के लिये पत्र लिखा था ।

अध्यक्ष महोदय: हम इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं ।

प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दो पत्रों का सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है।

इस प्रस्ताव की विषय वस्तु राष्ट्रीय महत्व की है । प्रस्ताव वापस लेने के दो मुख्य कारण हैं। पहला तो यह कि समिति बनाकर प्रारम्भिक जाँच कराई जाए और दूसरा यह कि प्रधानमंत्री ने दोनों पत्र सभा-पटल पर नहीं रखे हैं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्: हम इस ख्याल में थे कि आज दो बजे दोपहर श्री साठे का प्रस्ताव लिया जाएगा । लेकिन जब सभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले श्री गौरी शंकर राय ने प्रस्ताव की ग्राह्यता का प्रश्न उठाया । इसके बाद चर्चा शुरू हो गई । कई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगे । कई सदस्य राज्य सभा की कार्यवाही को उद्धृत करने लगे । नियमों के अनुसार हमें दूसरे सदन की कार्यवाही को उद्धृत नहीं करना चाहिए ।

अब जबकि प्रस्ताव की ग्राह्यता पर विचार किया जा रहा है, माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ।

Shri D. N. Tiwary : In view of the inconvenience caused to Members and heavy expenditure by the Government, I hope that Shri Sathe will ask for unconditional apology before the House.

Shri Ramji Lal Suman (Firojabad) : We are very sad to know that Shri Sathe wants to withdraw the motion. It has casused inconvenience to Members.

अध्यक्ष महोदय: मुझे तीन संकल्प प्राप्त हुए हैं । पहला श्री कंवर लाल गुप्त का, दूसरा श्री अमृत नाहाटा और श्री कृष्णकांत का है तथा तीसरा श्री रामधन का है ।

श्री कंवर लाल गुप्त ने संकल्प की ग्राह्यता पर आपत्तियाँ की हैं । श्री साठे द्वारा प्रस्ताव वापस होने पर ये आपतियां निरर्थक जाती हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: पहले वह प्रस्ताव पेश करें और फिर सदन से माफी मांगें और उसके बाद अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष महोदय: श्री सौगत राय तथा श्री उन्नीकृष्णन ने नियम 388 के अन्तर्गत नियम 180 उपखण्ड (i) को निलम्बित करने का प्रस्ताव किया है । इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सदन में संकल्प पेश नहीं किया। इसके अतिरिक्त नियम 388 प्रस्तावों पर लागू होता है, संकल्पों पर नहीं, फिर भी सदस्यों ने यह ठीक कहा है कि छुट्टी के दिन सभा की बैठक बुलाकर काफी असुविधा हुई है ।

विषय के महत्व को देखते हुए कार्य मंत्रणा समिति ने छुट्टी के दिन सभा बुलाने की सिफारिश की थी। हमने यह भी सोचा था कि इस संकल्प पर चर्चा के बाद उत्तरी भारत में बाढ़ सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा की जाएगी ।

यही नहीं संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित है और केवल सदन को ही इस संकल्प पर चर्चा करने का क्षेत्राधिकार है । अतः अब सदन इस अवसर से वंचित हो गया है ।

मामले पर विचार करने के बाद मैं श्री सौगत राय और श्री उन्नीकृष्णन् द्वारा नियम 388 को निलम्बित करने के प्रस्ताव पर सहमति देना न्यायसंगत नहीं समझता ।

श्री अमृत नाहाटा (पाली) : आपने स्वयं उन स्थितियों का उल्लेख किया था जिसके अन्तर्गत यह प्रस्ताव सदन के समक्ष लाया गया था । कार्य मंत्रणा समिति ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए विशेष समय दिया था ।.....

श्री सी०एम० स्टीफन : आपने उस सदस्य का नाम पुकारा जिसके नाम प्रस्ताव था । सदस्य कहता है कि वह प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा । बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए । कई सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है । आप स्वयं यह निर्णय करें कि क्या सदस्य द्वारा प्रस्ताव वापस लेने से किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन होता है । अब चर्चा क्यों हो रही है ? श्री अमृत नाहाटा को बोलने के लिए क्यों कहा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो रही । ये प्रस्ताव हैं । मैं देखना चाहता हूं कि ये ग्राह्य हैं अथवा नहीं ।

श्री सी०एम० स्टीफन : : आप ग्राह्यता पर विचार कर रहे हैं ? हम यहां ऐसा नहीं होने देंगे ।

इसके बाद श्री सी० एम० स्टीफन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य उठकर आये और सभा कक्ष के बीच में खड़े हो गये

(At this stage, Shri C. M. Stephen and some other hon. Members came to and stood in the well of the House)

अध्यक्ष महोदय : मैं सब बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । संकल्प पेश किए जा चुके हैं । मैं केवल यह देखना चाहता हूं कि वे संकल्प ग्राह्य हैं अथवा नहीं । इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुन रहा ।

श्री सी०एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम यह है कि कार्य सूची में जो लिखा गया है, उसी पर चर्चा हो । कोई भी नोटिस सचिव के माध्यम से आपको दिया जाता है । आप उसकी ग्राह्यता पर अपना निर्णय देते हो । कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रस्ताव की ग्राह्यता पर सभा में चर्चा हुई हो । आप इस पर अपने चैम्बर में चर्चा कर सकते हैं और अपना विनिर्णय दे सकते हैं । आप इसे अनियत दिन वाला प्रस्ताव बना सकते हैं या कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

Shri L.L. Kapur : I rise on a point of order. There is no specific charge in the motion of Shri Sathe.....

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री गौरी शंकर राय : सभा को धोखा दिया गया है । यह एक महत्वपूर्ण विषय था परन्तु चर्चा न करके सभा का दुरुपयोग किया गया है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपका ध्यान नियम 194 की ओर दिलाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नियम अल्प सूचना चर्चा की बारे में है ।

Shri Hukam Deo Narain Yadav: I would like to draw your attention towards Clause 9 of Rule 349. Prime Minister has expressed his opinion about this motion. I am in full agreement with his opinion.

श्री कृष्ण कांत : मैं श्री स्टीफन द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहता हूं । नियम 184 में कहा गया है कि किसी भी लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष की सहमति के बिना चर्चा नहीं हो सकती । मैंने सचिव के माध्यम से आपकी सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा था । मेरा कहना यह है कि श्री सी०एम० स्टीफन द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को रद्द कर दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस 10 बजे से पूर्व देना था । दस बजे के बाद मिले प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री के० राममूर्ति : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री सौगत राय और श्री उन्नीकृष्णन ने प्रस्ताव को निलम्बित करने का प्रस्ताव दिया है ।

श्री सौगत राय : नियम 187 में कहा गया है कि अध्यक्ष ही यह निर्णय करेगा कि प्रस्ताव या उसका कोई भाग ग्राह्य है अथवा नहीं। अतः मेरा कहना यह है कि अध्यक्ष ही इस बारे में निर्णय करेगा । अतः नियम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपका प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकती हो ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं श्री स्टीफन की बात से सहमत हूं । नियम 332 में यह कहा गया है कि नोटिस 10 बजे से पहले दिया जाना चाहिए । मैंने अपना नोटिस 10 बजे से पूर्व दिया था । अतः इसे लोक महत्व का विषय समझा जाना चाहिए । अतः यह मामला अत्यधिक महत्व का है । मैंने यह नोटिस समय पर दे दिया था । राज्य सभा में भी इस मामले पर विचार हो चुका है । मेरा यह नोटिस नियम 184, 185 और 186 के अनुरूप है । अतः मुझे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुरूप श्री गुप्ता के प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती साथ ही उनका प्रस्ताव नियम 186(2) का उल्लंघन करने वाला है ।

श्री अमृत नाहाटा : अध्यक्ष महोदय मैं यह चाहता हूं कि सभी प्रस्तावों के लिए सूचना कई बार 10 बजे के पहले दे पाना संभव नहीं होता मेरे प्रस्ताव का संबंध ऐसी घटना से है जो सदन में हुई और जिसके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने के लिए स्वयं कहा भी था .....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको प्रस्ताव पर बोलने के लिए नहीं कहा आपको कुछ गलतफहमी हुई है..... श्री रामधन

श्री रामधन (लालगंज) : अगर कोई सदस्य सदन का अपमान करे तो क्या हम चुप चाप बैठे रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय: मैंने केवल आपको प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में बोलने के लिए कहा है मैं इन सब बातों को यहां लाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री पी०जी० मावलंकर : जहां तक नियम 389 का संबंध है इस विशिष्ट मामले के संबंध में हम इसका आश्रय नहीं ले सकते क्योंकि इस संबंध अवशिष्ट शक्तियों के साथ है और अध्यक्ष महोदय के पास इन अवशिष्ट शक्तियों के नाम पर कोई शक्तियों का भंडार नहीं है अथवा नियम 1 से लेकर 389 तक सब निरर्थक हो जाएंगे।

नियम 332 का भी पालन नहीं किया गया है। नियम 184 से 188 तक में कहीं भी सदस्य को ऐसे शक्ति प्राप्त नहीं है जिसके अंतर्गत वह अचानक ही प्रस्तुत करके उस पर अध्यक्ष की स्वीकृति ले सके। आज जो कुछ हुआ इस पर निश्चय संकल्प अथवा प्रस्तावों की सूचना सामान्य तौर पर दी जा सकती है और आप इसमें नियम 189 के अंतर्गत रखकर बुलेटिन में छपवा सकते हैं और यदि सदन के पास समय हो तो इसे कार्यमंत्रणा समिति के पास भेजा जा सकता है। तब वह इस पर चर्चा कर सकती है। यही मेरी राय है।

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : One should never get excited too much. My submission is that a new notice should be considered in this regard.

Shri Raj Narain (Rae Bareli) : We should always adhere to rules. The prestige and decorum of the House should be maintained.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : आज सदन के समक्ष अत्यधिक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है जिसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। हमें इन बातों पर विचार करना है (1) क्या नोटिस नियमों के अनुरूप है और क्या इस पर चर्चा की जा सकती है (2) इसका संबंध किससे है (3) क्या यह प्रस्ताव है अथवा संकल्प क्योंकि संकल्प और प्रस्ताव में काफी अन्तर होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह मामला विशेषाधिकार भंग का मामला है अथवा सभा स्वयं इस मामले में निर्णय ले सकती है। 10 बजे से पहले प्रस्ताव की सुचना देने वाली बात यहां लागू नहीं होती क्योंकि घटना 2 बजे के बाद हुई है। मैं श्री मावलंकर की इस बात से सहमत हूं कि इस मामले पर नियम 389 के अन्तर्गत निर्णय नहीं दिया जा सकता। मेरा विचार है कि आप इस नोटिस को स्वीकार कर लें।

श्री एडुआर्डो फेलीरो : (मारमोगोआ) : नियम 180 (1) के अनुसार

"कार्य सूची में जिस सदस्य के नाम में कोई संकल्प हो वह, पुकारे जाने पर, संकल्प वापस ले सकेगा और उस अवस्था में वह अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा"

हाल ही में दो भूतपूर्व मंत्रियों ने भी अपने कथन नहीं दिए और अध्यक्ष महोदय ने कहा उसक लिए उनकी निन्दा नहीं की जा सकती इस तरह आपको दोहरे मानदण्ड नहीं रखने चाहिएं मंत्रियों के लिए अलग और सदस्यों के लिए अलग।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में श्री साठे ने सभा का अपमान नहीं किया है और इन्होंने नियम 180 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग किया है । यदि कोई सदस्य परिवर्तित परिस्थितियों में स्थानापन्न प्रस्ताव रखना चाहता है तो वह नियमानुसार रख सकता है । वर्तमान प्रस्ताव नियमों के अनुरूप नहीं हैं अतः उन्हें अस्वीकार किया जाता है ।

तत्पश्चात लोकसभा सोमवार 14 अगस्त, 1978/ 23 श्रावण' 1900(शक)के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, the 14th August, 1978/Sravana 23, 1900 (Saka).

MGIPR R—30LSS/78—Sec. II D—4-11-78—210